भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/56/2018/एफ.सी./202-

दिनांक: 20.06.2018

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/26409/7

विषय: मुजफ्फरनगर में उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर जानसठ लीलो नेपा (भोकरेहड़ी) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.1944 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:–मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक– 4019/ मुजफ्फरनगर /26409/2017 दिनांक– 11.05.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आ य ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्तावित वन क्षेत्र ईको सेन्सिटिव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतः इस बावत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की संस्तुति/सहमति प्रस्तुत करें।
2. SOI Toposheet की मूल प्रति प्रस्तुत करें।
3. FRA Certificate के अन्तर्गत Primitive Tribal Group एवं Pre Agricutural communities के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर उ0 प्र0।
4. अधिशासी अभियन्ता,उ0प0पावर ट्रांसमिशन कार्पो0 लि0 मुजफ्फरनगर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 5387 /मुजफ्फरनगर/26409/2017, दिनांक, लखनऊ, जून 27 , 2018

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को बिन्दु संख्या–1 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या–1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ से संस्तुति/सहमति प्राप्त कर भारत सरकार द्वारा इंगित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या–1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ से संस्तुति/सहमति प्राप्त कर भारत सरकार द्वारा इंगित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख वन संरक्षक, सहारनपुर को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कार्पो0 लि0, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q